कालिदास संस्कृत अकादमी म.प्र. संस्कृति परिषद्, उज्जैन

वर्ष–2023–24 (01जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर, 2024) में प्रकाशित संस्कृत की श्रेष्ठ कृतियों के लिए पुरस्कार

श्रेष्ठकृति पुरस्कार नियमावली

म.प्र. शासन द्वारा संस्कृत की कृतियों को पुरस्कृत करने की योजना के अंतर्गत म.प्र. संस्कृत परिषद् कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैन द्वारा 2 वर्षों का एक पेनल वर्ष मानते हुए 2 वर्षों में पहली बार प्रकाशित कृतियों में चयनित कृतियों को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार विवरण निम्नलिखित है –

क्र.	**पुरस्कार का नाम**	**पुरस्कार राशि**	**विवरण**
1.	अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार (एक)	1,00,000/–	विषय–संस्कृत में रचित मौलिक सर्जनात्मक कृति (गद्य, पद्य, चम्पू तथा रूपक काव्य)
2.	प्रादेशिक भोज पुरस्कार (एक)	51,000/–	विषय–संस्कृत अथवा हिंदी में रचित संस्कृत संबंधित समीक्षात्मक कृति
3.	प्रादेशिक व्यास पुरस्कार (एक)	51,000/–	विषय–पारम्परिक विद्वत्ता के क्षेत्र में सम्पादन अथवा संस्कृत में किसी साहित्यिक अथवा शास्त्रीय कृति का हिंदी अनुवाद/व्याख्या
4.	प्रादेशिक राजशेखर पुरस्कार (एक)	51,000/–	विषय–पारम्परिक अनुशासनों की संस्कृत अथवा हिंदी की रचनात्मक कृति

1. **प्रादेशिक पुरस्कार केवल मध्यप्रदेश के निवासी लेखकों को दिये जायेंगे। निवासी शब्द की वही व्याख्या होगी जो सरकारी मामलों में बोनाफाइड की होती है। मध्यप्रदेश के मूलनिवासी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।**
2. अखिल भारतीय पुरस्कार के लिये भेजे जाने वाले ग्रन्थ पर नियम एक को छोड़कर शेष नियम लागू होंगे।
3. पुरस्कारों के लिये निर्धारित अवधि के लिए निर्दिष्ट प्रकाशित पुस्तकें ही स्वीकार की जायेंगी।
4. अकादमी को प्राप्त पुस्तक निर्धारित विषयों के अन्तर्गत होने पर ही पुरस्कार के परीक्षण हेतु स्वीकृत की जायेगी अन्यथा उसका कोई उत्तरदायित्व अकादमी का नहीं होगा। स्वीकृत पुस्तकों के सम्बन्ध में अन्य किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि पुरस्कार के निर्णय की घोषणा नहीं कर दी जाती।
5. पुरस्कार हेतु विषयान्तर्गत ग्रन्थ प्रकाशक भी भेज सकते हैं, लेकिन ग्रन्थ–लेखक से अपेक्षित घोषणाएँ भी लेखक से भिजवाने का दायित्व उनका ही होगा, अन्यथा ग्रन्थ पुरस्कार–योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. अखिल भारतीय अथवा प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त लेखक को पुरस्कृत वर्ष से आगामी 4 वर्ष तक उनकी किसी भी कृति के लिये पुरस्कृत नहीं किया जा सकेगा।
7. यदि लेखक ने किन्हीं दो पुरस्कारों के लिए ग्रन्थ भेजा हो और दोनों में वे पुरस्कार योग्य पाये गये हों तो किसी एक पर अंकों के आधार पर एक ही पुरस्कार दिया जायेगा।

निरन्तर...2

8. ग्रन्थ के साथ लेखक द्वारा अपने विषय में सम्बन्धित घोषणा और प्रमाणपत्र वांछित जानकारियों तथा यथावश्यक प्रमाणीकरण सहित ग्रन्थ में चस्पा कर भेजा जाना अनिवार्य है। प्रमाणीकरण की वैधानिकता का पूरा उत्तरदायित्व लेखक पर होगा।
9. कृति का तात्पर्य व्यापक सर्जनात्मक रचना से है जिसके अन्तर्गत गद्य, पद्य, चम्पू तथा रूपक विधाएँ सम्मिलित हैं।
10. पुरस्कार के लिए ग्रन्थ की तीन प्रतियाँ भेजना आवश्यक है। प्रकाशित ग्रन्थ का प्रथम संस्करण ही स्वीकार्य होगा। प्राप्त ग्रन्थ वापस नहीं किये जायेंगे।
11. पुरस्कृत ग्रन्थ लेखक की मृत्यु हो जाने की दशा में पुरस्कार लेखक के वैधानिक उत्तराधिकारी को दिया जायेगा।
12. अकादमी द्वारा घोषित निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। इस विषय में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
13. **प्रविष्टि हेतु पुस्तक प्रेषण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है।**
14. पुरस्कार के लिए प्रेषित ग्रन्थों को निम्नलिखित पते पर भेजें तथा इस सम्बन्ध में समस्त पत्र व्यवहार भी इसी पते पर करें –

    पता – निदेशक, कालिदास संस्कृत अकादमी, विश्वविद्यालय मार्ग, उज्जैन–456010 दूरभाष क्र. 0734–3561047

घोषणा–पत्र का प्रारूप

मैं ______________________ घोषणा करता/करती हूँ कि ______________________ (पुस्तक का नाम) मेरी मौलिक/अनूदित कृति है और वर्ष 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2024 के बीच पहली बार प्रकाशित हुई है।

यह विवादास्पद नहीं है। इससे पूर्व यह किसी अन्य नाम अथवा रूपान्तरण में प्रकाशित नहीं हुई है।

लेखक/लेखिका का हस्ताक्षर

नाम – ....

पता – ....

....

....

मो.नं. – ....

मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग
कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैन

श्रेष्ठकृति पुरस्कार वर्ष 2023–24 हेतु रचनाएँ आमन्त्रित

कालिदास संस्कृत अकादमी, म.प्र. संस्कृति परिषद, उज्जैन द्वारा संस्कृत की श्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत करने की शासन की योजना के अंतर्गत 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2024 की अवधि में प्रकाशित पुस्तकें निम्न पुरस्कार हेतु आमंत्रित हैं –

1. अ.भा. कालिदास पुरस्कार (भारत के मूल निवासियों के लिए) रु. 1,00,000/–
2. प्रादेशिक (म.प्र.के मूल निवासियों के लिए) भोज, व्यास एवं राजशेखर पुरस्कार रु. 51,000/– (प्रत्येक)। दि. 31 अक्टूबर, 2025 तक अकादमी को प्रविष्टियाँ एवम् ग्रन्थ प्राप्त होना आवश्यक है। कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैन (म.प्र.) की वेबसाईट www.kalidasacademy.com नियमावली एवं प्रपत्र उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिये कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैन के ईमेल kalidasaakademi@gmail.com अथवा दूरभाष क्रमांक 0734–3561047 पर सम्पर्क करें।

निदेशक,
कालिदास संस्कत अकादमी.उज्जैन